

भारत के उच्चतम न्यायालय में
आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या: /2024

(विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 2520/2017)

प्रतीक बंसल।

... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य।

... प्रतिवादीगण

हेडनोट्स

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 - धारा - 482- अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई--मुख्य विवाद यह था कि क्या सामान आरोपों के आधार पर दूसरी प्राथमिकी दर्ज करना और उस पर कार्यवाही करना प्रक्रिया का दुरुपयोग है; जबकि पहले ही उस पर एक स्थान पर विचारण हो चुका हो ?-- उच्च न्यायालय द्वारा यह कहना कि उदयपुर की शिकायत पहले की थी; तथ्यात्मक रूप से गलत पाया गया - निर्णय - न्यायालय ने FIR को रद्द करते हुए निर्णय दिया कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है; अपील स्वीकार की गई - राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया।

निर्णय

विक्रमनाथ, न्यायाधीश

अनुमति प्रदान की गयी ।

2. यह अपील, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.03.2017 को पारित आदेश एवं निर्णय की वैधता को चुनौती देती है, जिसमें उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 केअंतर्गत दायर याचिका संख्या 3259/2015 को निरस्त कर दिया था।उक्त याचिका, महिलाथाना, उदयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्टसंख्या 156/2015 को रद्द करने के लिए दायर की गई थी, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498 ए, 406, 384, 420 एवं 120(बी) केअंतर्गत पंजीबद्ध की गई थी।

3. प्रारंभ में यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि एफआईआर रद्द करवाने हेतु एकमात्र आधार यह था कि यह शिकायतकर्ता द्वारा उन्हीं आरोपों केआधार पर दायर की गई दूसरी एफआईआर थी, जिसे पहली

एफआईआर दर्ज होने के दो सप्ताह बाद दायर किया गया था। पहली एफआईआर संख्या 19/2015, धारा 498 ए सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत, पुलिस थाना हिसार, हरियाणा में दर्ज की गई थी।

4. प्रासंगिक तथ्यों का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है:

- (i) अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 3 के बीच जून 2014 में इंटरनेट के माध्यम से संपर्क हुआ।
- (ii) शिकायतकर्ता (प्रतिवादी संख्या 2), जो प्रतिवादी संख्या 3 के पिता हैं, ने अपनी पुत्री (प्रतिवादी संख्या 3) का विवाह प्रस्ताव लेकर अपीलार्थी से उदयपुर में मुलाकात की। अपीलार्थी हिसार में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जबकि उस समय प्रतिवादी संख्या 3 उदयपुर, राजस्थान में उपपुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थीं।
- (iii) दिनांक 18.02.2015 को सगाई सम्पन्न हुई तथा 21.03.2015 को उदयपुर में विवाह संपन्न हुआ। इसके पश्चात 10.10.2015 को प्रतिवादी संख्या 2 ने महिला थाना, हिसार, हरियाणा में धारा 498 ए आदि के तहत शिकायत दर्ज कराई, जिसे 17.10.2015 को एफआईआर संख्या 19/2015 के रूप में धारा 498 ए सहपठित धारा 34 आईपीसी के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।
- (iv) इस बीच, प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रथम शिकायत के पांच दिवस पश्चात दिनांक 15.10.2015 को एक और शिकायत महिला थाना, उदयपुर, राजस्थान में उन्हीं आरोपों के आधार पर दर्ज कराई, जो पूर्ववर्ती शिकायत में किए गए थे। यह शिकायत दिनांक 01.11.2015 को एफआईआर संख्या 156 के रूप में धारा 498 ए/506 आईपीसी आदि के तहत पंजीबद्ध की गई।
- (v) पहली एफआईआर संख्या 19/2015 में अपीलार्थी के अतिरिक्त उसके अन्य पारिवारिक सदस्यों को भी अभियुक्त बनाया गया था। हालांकि, विवेचना के उपरान्त दिसंबर 2015 में धारा 173(2) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत केवल अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 498 ए आईपीसी के तहत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया और विचारण प्रारंभ हुआ, तथा मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हिसार की अदालत में आपराधिक वाद संख्या 232-I/2015 के रूप में पंजीकृत किया गया।
- (vi) इस बीच, अपीलार्थी ने राजस्थान उच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत एक याचिका दायर कर उदयपुर में पंजीकृत दूसरी प्राथमिकी संख्या 156/2015 को रद्द करने की प्रार्थना की। उक्त याचिका को उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 06.03.2017 द्वारा दो प्रमुख आधारों पर खारिज कर दिया। पहला आधार यह था कि उदयपुर में की गई शिकायत समय की दृष्टि से हिसार में की गई शिकायत से पूर्व की थी। दूसरा आधार यह था कि राजस्थान पुलिस को हिसार पुलिस के समक्ष लंबित पूर्ववर्ती कार्यवाही/शिकायत की जानकारी नहीं थी, अतः उदयपुर पुलिस को वहाँ दर्ज शिकायत की स्वतंत्र रूप से जांच करने की छूट दी जानी चाहिए।
- (vii) उक्त आक्षेपित आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने वर्तमान याचिका इस न्यायालय में दायर की, जिस पर 03.04.2017 को नोटिस जारी किया गया। साथ ही, इस न्यायालय ने एफआईआर संख्या 156 दिनांक 01.11.2015, थाना महिला पुलिस स्टेशन, उदयपुर की आगे की विवेचना पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। परिणामस्वरूप, उक्त एफआईआर की अब तक कोई जांच नहीं की गई है।

(viii) आक्षेपितआदेश पारित होने के पश्चात हिसार में विचारण पूर्ण हो गया, और न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02.08.2017 द्वारा अपीलार्थी को दोष मुक्त करार दिया। उक्त निर्णय की प्रति अतिरिक्त दस्तावेजों (आई.ए. संख्या 118201/2021) के साथ प्रस्तुत की गई है।

(ix) दोष मुक्ति के निर्णय का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष ने एसआई शीला देवी (जांचअधिकारी) को पीडब्ल्यू-1 के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्होंने पुलिस कागजात को प्रमाणित किया। हेड कांस्टेबल राजाराम को पीडब्ल्यू-2 के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने विवाह से संबंधित दस्तावेज प्रमाणित किए। डीएसपी जयपाल सिंह को पीडब्ल्यू-3 के रूप में और उपनिरीक्षक माने देवी को पीडब्ल्यू-4 के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने जांच पूरी होने के पश्चात चालान तैयार किया।

(x) विचारण न्यायालय ने आगे उल्लेख किया कि अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता और पीड़िता को न्यायालय में प्रस्तुत कराने का भरसक प्रयास किया, परंतु वे गवाही हेतु उपस्थित नहीं हुए। कोई विकल्प न होने के कारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की साक्ष्य बंद कर दी और अपीलार्थी का बयान धारा 313 सीआरपीसी के अंतर्गत दर्ज करने के पश्चात, पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस सुन कर दोष मुक्ति का निर्णय पारित किया।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने हमारा ध्यान दोनों शिकायतों, दोष मुक्ति के निर्णय तथा आक्षेपित आदेश में दर्ज उन त्रुटियों की ओर आकृष्ट किया है, जो दोनों आधारों पर स्पष्ट हैं – एक, कि उदयपुर की शिकायत हिसार की शिकायत से पहले नहीं थी, और दूसरा, कि राजस्थान पुलिस को हिसार में लंबित कार्यवाही की जानकारी नहीं थी।

6. प्रतिवादीगण के योग्य अधिवक्ता ने प्रबल रूप से यह तर्क दिया कि हिसार न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं था क्योंकि अपराध उदयपुर में घटित हुआ था, अतः हिसार न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति का निर्णय शून्य है। उनका कहना था कि शिकायत की जांच राजस्थान पुलिस द्वारा की जानी चाहिए थी, किंतु इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के कारण जांच आगे नहीं बढ़ सकी, और इसलिए याचिका निरस्त की जानी चाहिए। पक्षकारों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300, 177, 461 एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 सहित संबंधित विधिक प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया तथा निम्नलिखित निर्णयों को रेफर किया गया:

(i) Prem Chand Singh बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2020) 3 SCC 54

(ii) T.T. Antony बनाम केरल राज्य एवं अन्य (2001) 6 SCC 181

(iii) Y. Abraham Ajith एवं अन्य बनाम इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, चेन्नई एवं अन्य (2004) 8 SCC 100

इनमें से पहले दो निर्णयों पर अपीलार्थी के अधिवक्ता ने और तीसरे निर्णय पर प्रतिवादी पक्ष ने भरोसा किया।

7. इन विधिक प्रावधानों एवं निर्णयों की गहराई में जाए बिना, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आक्षेपित कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग मात्र है। प्रतिवादी संख्या 2 और 3 यह नहीं नकारते कि उन्होंने हिसार में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने यह कहते हुए कोई याचिका नहीं दी कि शिकायत गलती से दर्ज हो गई थी या कि इसे उदयपुर स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने जांच एजेंसी को कार्रवाई करने दी, जिसमें उनके बयान भी दर्ज हुए। प्रतिवादी संख्या 3 उस समय एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी थीं और विधि, विशेषकर सीआरपीसी, से भली-भांति परिचित थीं। न तो शिकायतकर्ता और न ही पीड़िता ने हिसार न्यायालय में गवाही दी, जिससे न्यायालय और जांच एजेंसी का बहुमूल्य समय व्यर्थ हुआ। यह स्पष्ट है कि चूंकि वह स्वयं

एक पुलिस अधिकारी थीं, उन्होंने पहले अपने पिता के माध्यम से हिसार में एफआईआर दर्ज करवाई और एक सप्ताह के भीतर अपने गृह नगर उदयपुर में एक और शिकायत दर्ज करवा दी।

8. निम्नलिखित स्वीकार्य तिथियाँ इस तथ्य की पुष्टि करती हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा यह कहना कि उदयपुर की शिकायत पहले की है, रिकॉर्ड के विपरीत है:

(i) हिसार में शिकायत की तिथि: 10.10.2015

(ii) उदयपुर में शिकायत की तिथि: 15.10.2015

(iii) हिसार में एफआईआर पंजीकरण की तिथि: 17.10.2015

(iv) उदयपुर में एफआईआर पंजीकरण की तिथि: 01.11.2015

इन तिथियों के आलोक में यह समझ नहीं आता कि उच्च न्यायालय ने कैसे यह निष्कर्ष निकाला कि उदयपुर की शिकायत पहले की थी। यह रिकॉर्ड व तथ्यों के प्रतिकूल है।

9. यह भी विवादित नहीं है कि उदयपुर में दर्ज शिकायत में वही आरोप थे जो हिसार की शिकायत में थे, और अतिरिक्त रूप से यह भी उल्लेख था कि इस से पूर्व हिसार में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। अतः यह मानना गलत है कि राजस्थान पुलिस को हिसार की कार्यवाही की जानकारी नहीं थी। उच्च न्यायालय का यह अवलोकन भी त्रुटिपूर्ण था। न्यायालय और पुलिस, दोनों से अपेक्षा थी कि वे शिकायत को ध्यानपूर्वक पढ़ते।

10. अतः दोनों ही आधारों पर हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की याचिका को निरस्त करने में त्रुटि की।

11. उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, हम यह मानते हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक के बाद एक शिकायत दर्ज कराई। साथ ही, उनका हिसार न्यायालय में उपस्थित न होना और न ही वहाँ की शिकायत को वापस लेना, यह दर्शाता है कि उनका उद्देश्य केवल अपीलार्थी को परेशान करना था—पहले हिसार में मुकदमे का सामना कराने हेतु और फिर उदयपुर में। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत दी गई। अब इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 और 3 एफआईआर रद्द करने का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हिसार में दर्ज शिकायत में यह आरोप भी है कि जब प्रतिवादी संख्या 2 ने अपीलार्थी से मुलाकात की थी, तब उसने ₹50,00,000/- तथा एक इनोवा कार की मांग की थी। अतः यह कहना कि अपराध केवल उदयपुर में हुआ, तथ्यात्मक रूप से गलत है। हम इस प्रकार की प्रवृत्ति—राज्य की मशीनरी के दुरुपयोग को कड़े शब्दों में निंदनीय मानते हैं और प्रतिवादी संख्या 2 पर लागत (cost) लगाने के पक्ष में हैं, जिससे अपीलार्थी को मुआवज़ा मिल सके।

12. उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील स्वीकृत की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है, तथा एफआईआर संख्या 156/2015 दिनांक 01.11.2015, महिला थाना, उदयपुर को रद्द किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 को ₹5,00,000/- (रुपये पाँच लाख मात्र) की लागत (cost) अदा करनी होगी, जो इस न्यायालय के रजिस्ट्रार के समक्ष चार सप्ताह के भीतर जमा की जाए। जमा राशि में से 50% सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी को तथा शेष 50% अपीलार्थी को हस्तांतरित की जाए।

.....न्यायाधीश
(विक्रमनाथ)

.....न्यायाधीश
(प्रशांत कुमार मिश्रा)

नई दिल्ली

19 अप्रैल, 2024